

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2013 Rcms No. 2013/00088

दायरा तिथि : 21.03.2013

प्रथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2019 फाईनल डिक्री दिनांक: 1-10-2019

वादी :-

श्री नारायणलाल पुत्र कूपारामजी जाति मेगवंशी
निवासी अम्बेडकर कॉलोनी बाली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब न अ म

प्रतिवादीगण :-

1. नेनाराम पुत्र खांगारामजी
2. स्व0 जसाराम पुत्र फताराम के कामु.
2/1 मोहनलाल पुत्र जसारामजी
2/2 प्रतापराम पुत्र जसारामजी
2/3 पन्नालाल पुत्र जसारामजी
2/4 गजराज पुत्र जसारामजी
2/5 श्रीमति रकमो पुत्री जसारामजी
3. कूपाराम पुत्र फताराम
4. डूंगाराम पुत्र भूदाराम
5. नेनाराम पुत्र भूदाराम
6. गजरोदेवी पत्नि भूदाराम
7. भीकीदेवी पुत्री भूदाराम तमाम ही जाति से मेगवंशी निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
8. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :-

1. श्री गणपतलाल चौधरी
 2. प्रतिवादीगण
 3. नायब तहसीलदार, बाली
- अभिभाषक वादी की ओर से
.....अनुपस्थित
.....पैरोकार सरकार

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 1-10-2019

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर सरहद मौजा बाली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1650, 1651, 1652, 1663, 1664, 1665 कुल खसरा-06 कुल रकबा 4.98 हैक्टर कुल लगानी 32.50 रूपये वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होने से वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य 60.70 वर्ष पूर्व मौके पर बंटवाडा होने से मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादी एवं प्रतिवादी संख्या-01 का 1/2 हिस्सा होने तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का 1/2 हिस्सा होना जाहिर करते हुये निम्नानुसार भूमि मौके पर विभाजन होना बताया:-

क्रं.सं०	नाम खातेदार	विवरण भूमि			नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	
01	नारायणलाल पुत्र कूपाराम नेनाराम पुत्र खांगारामजी यथा वादी व प्रतिवादी संख्या-01 के बंट की भूमि	1652	2.33	बारानी अव्वल	16.31
		1650	0.41	बारानी अव्वल	2.05
		1651	0.29	गै.मु.	-
		03	2.96		18.36
02	प्रतिवादी संख्या 02 से 07 के बंट की भूमि	1663	0.67	बारानी अव्वल	4.69
		1664	0.68	बारानी अव्वल	4.76
		1665	0.67	बारानी अव्वल	4.69
		03	2.02	बारानी अव्वल	14.14

अपने वादपत्र में वादी व प्रतिवादी संख्या-01 के बंट की भूमि कम उपजाऊ होने से ज्यादा भूमि रखने एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 के हिस्से बंट की भूमि ज्यादा उपजाऊ होने से कम भूमि रखे जाने का निवेदन करते हुये पुर्वजो के समय मौके पर किये गये विभाजन अनुसार रेकर्ड में भी भूमि अलग-अलग दर्ज किये जाने हेतु विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान (राज)

अपने वादपत्र के समर्थन में वकील वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2068 से 2071, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नजरी नक्शा की प्रति पेश की गई।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या-01 की ओर श्री भंवरलाल वैष्णव ने तथा प्रतिवादी संख्या-05 की ओर से वकील श्री विक्रमसिंह कुम्भावत ने वकालतनामे पेश किये। प्रतिवादी संख्या-04 न्यायालय में एक बार व्यक्तिशः उपस्थित हुये, इसके पश्चात् आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादी संख्या-01 व 05 के अधिवक्तागणों को पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जबावदावा पेश नहीं किया गया, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 से 04 एवं 06, 07 को भी जबावदावा प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का जबाव अवसर बंद किया गया, तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या-08 परोकार सरकार फौरमल पक्षकार होने से जबाव पेश नहीं करने से इनका जबावदावा का अवसर भी दिनांक 05.03.2014 को बंद करते हुये पत्रावली को वादी पक्ष की एकपक्षीय साक्ष्य के लिये रखा गया। दिनांक 26.03.2014 के पश्चात् दिनांक 11.06.2019 तक कई मर्तबा वादी पक्ष को अपने साक्ष्य प्रस्तुती का समय अवसर दिये जाने के बावजूद गवाह पेश नहीं किये जाने से दिनांक 25.06.2019 को वादी पक्ष की साक्ष्य बंद करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर प्रकरण में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने पक्षकारों के मध्य विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/4603 दिनांक 23.2019 से रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाई गई। प्राप्त पी.डी. रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुती के लिये वकुलाय को 05 समय अवसर दिये जाने के बावजूद आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 12.02.2020 को आपत्ति प्रस्तुती का समय अवसर बंद करते हुये पत्रावली को बहस के लिये रखा गया। वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्राप्त पी.डी. रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकील वादी की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि बाली के खसरा नंबर 1650, 1651, 1652, 1663, 1664, 1665 कुल खसरा-06 कुल रकबा 4.98 हैक्टर कुल लगानी 32.50 रुपये के संबंध में राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

क्र.सं०	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	
01	नारायणलाल पुत्र कूपाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1652/01	1.24	बारानी अव्वल	8.68	केसरिया
02	नेनाराम पुत्र खांगाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1650	0.41	बारानी II	2.05	गहरा हरा
		1651	0.22	गै0मु0	-	
		1652	0.61	बारानी अव्वल	4.27	
		03	1.24	-	6.32	
03	मोहनलाल 1/5 प्रतापराम 1/5 पन्नालाल 1/5 गजराज 1/5पि0 जसाराम रकमो 1/5 पुत्री जसाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	1652/2	0.15	बारानी प्रथम	1.05	नीला
		1663	0.67	बारानी प्रथम	4.69	
		02	0.82	-	5.74	
04	कूपाराम पुत्र फताराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार फौत होने से उनके वारिशान	1664/2	0.2050	बारानी अव्वल	1.43	गुलाबी
		1652/3	0.15	बारानी अव्वल	1.05	
		1664	0.4670	बारानी अव्वल	3.26	
		03	0.82	-	5.74	
05	हिम्मतमल पुत्र नगाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1665	0.2050	बारानी अव्वल	1.43	पीला
06	मदनलाल पुत्र गोमाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार	1665/1	0.2050	बारानी अव्वल	1.44	हरा

पेज लगातार...03 उपस्थित अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

// 03 //

राजस्व वाद संख्या 21 / 2013 Rems No. 2013 / 00088 अनवान नारायणलाल बनाम नैनाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955

क्रं.सं०	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान	
07	गजरोदेवी पुत्री भूदाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1665/3	0.2050	बारानी प्रथम	1.44	जामूनी
08	भीकीदेवी पुत्र भूदाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1652/4	0.18	बारानी प्रथम	1.26	काला
		1665/4	0.0250	बारानी प्रथम	0.17	
		02	0.2050	—		
09	कुपाराम पुत्र फताराम मोहनलाल प्रतापराम पन्नालाल गजराज पि० जसाराम जाति मेगवाल गजरोदेवी पुत्री भूदाराम भीकीदेवी पुत्री भूदाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	1664/1	0.01	बारानी प्रथम	0.07	सलफर येलो
		1665/2	0.03	बारानी प्रथम	0.21	
		02	0.04	—	0.28	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 32.50 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो. ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(श्री अनुराग शर्मा)

उपसहायक कलक्टर एवं

पदेन सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 1-10-2013 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बाली

बाली, राजस्थान (स.प.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
प्रिलास श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

वादी :-

श्री नारायणलाल पुत्र कूपारामजी जाति मेगवंशी
निवासी अम्बेडकर कॉलोनी बाली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

प्रतिवादीगण :-

1. नेनाराम पुत्र खांगारामजी
2. स्व0 जसाराम पुत्र फताराम के कामु.
2/1 मोहनलाल पुत्र जसारामजी
2/2 प्रतापराम पुत्र जसारामजी
2/3 पन्नालाल पुत्र जसारामजी
2/4 गजराज पुत्र जसारामजी
2/5 श्रीमति रकमो पुत्री जसारामजी
3. कूपाराम पुत्र फताराम
4. डूंगाराम पुत्र भूदाराम
5. नेनाराम पुत्र भूदाराम
6. गजरोदेवी पत्नि भूदाराम
7. भीकीदेवी पुत्री भूदाराम तमाम ही जाति से मेगवंशी निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
8. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2013 Rcms No. 2013/00088
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-
भूमि बाली के खसरा नंबर 1650, 1651, 1652, 1663, 1664, 1665 कुल खसरा-06 कुल रकबा 4.98 हैक्टर कुल लगानी 32.50 रूपये के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

क्रं०	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	
01	नारायणलाल पुत्र कूपाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1652/01	1.24	बारानी अव्वल	8.68	केसरिया
02	नेनाराम पुत्र खांगाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1650	0.41	बारानी II	2.05	गहरा हरा
		1651	0.22	गै0मु0	-	
		1652	0.61	बारानी अव्वल	4.27	
		03	1.24	-	6.32	
03	मोहनलाल 1/5 प्रतापराम 1/5 पन्नालाल 1/5 गजराज 1/5पि0 जसाराम रकमो 1/5 पुत्री जसाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	1652/2	0.15	बारानी प्रथम	1.05	नीला
		1663	0.67	बारानी प्रथम	4.69	
		02	0.82	-	5.74	
04	कूपाराम पुत्र फताराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार फौत होने से उनके वारिशान	1664/2	0.2050	बारानी अव्वल	1.43	गुलाबी
		1652/3	0.15	बारानी अव्वल	1.05	
		1664	0.4670	बारानी अव्वल	3.26	
		03	0.82	-	5.74	
05	हिम्मतमल पुत्र नगाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1665	0.2050	बारानी अव्वल	1.43	पीला
06	मदनलाल पुत्र गोमाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार	1665/1	0.2050	बारानी अव्वल	1.44	हरा

पेज लगातार...02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

// 02 //

राजस्थान वाद संख्या 21 / 2013 Rems No. 2013 / 00088 अनयान नारायणलाल बनाम नैनाराम यगीरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955

क्र.सं०	नाम खातेदार	विवरण भूमि			नजरी नक्शा में दर्शित रंग	
		खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	किस्म		
07	गजरोदेवी पुत्री भूदाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1665/3	0.2050	बारानी प्रथम	1.44	जामूनी
08	भीकीदेवी पुत्र भूदाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1652/4	0.18	बारानी प्रथम	1.28	काला
		1665/4	0.0250	बारानी प्रथम	0.17	
		02	0.2050	-		
09	कुपाराम पुत्र फताराम मोहनलाल प्रतापराम पन्नालाल गजराज पि० जसाराम जाति मेगवाल गजरोदेवी पुत्री भूदाराम भीकीदेवी पुत्री भूदाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	1664/1	0.01	बारानी प्रथम	0.07	सलफर येलो
		1665/2	0.03	बारानी प्रथम	0.21	
		02	0.04	-	0.28	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 32.50 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो. ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 1-10-2013 को जारी किया गया।

मोहर

(श्री अमूल कृष्ण)

आई.एस.

उपदेन सहायक कलक्टर एवं
रूपखण्ड अधिकारी, बाली